न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : डॉ. रविन्द्र गोस्वामी I.A.S.

प्रकरण संख्या –19/2025 (अपील)
जीसीएमएस नं0 2025/31

सदीक आत्मज सुल्तान जाति मुसलगान निवासी बडोदिया कलां तहसील चेचट जिला कोटा राज0

––अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार चेचट जिला कोटा

––रेस्पोडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बनाराजगी न्यायालय तहसीलदार चेचट मि0नं0 262/2024 निर्णय दिनांक 27.11.2024 उनवान सरकार बनाम सदीक

उपस्थिति

1. श्री धारा सिंह अभिभाषक अपीलान्ट
2. पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक :– 17.03.2025

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चेचट ने ग्राम गुमानपुरा की चारागाह भूमि के खसरा नम्बर 404 की 0.32 हे0 में संवत 2081 में अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर फसल सोया बोने की रिपोर्ट पटवारी हल्का के आधार पर धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अर्न्तगत अतिक्रमी मानते हुए प्रकरण संख्या 262/2024 दर्ज कर अपीलान्ट को अतिक्रमण की गई भूमि से बेदखली एवं 30 दिवस के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित के आदेश किया जाकर 100/– रूपये की शास्ति आरोपित करते हुए दिनांक 27.11.2024 से अपना निर्णय पारित किया है।

2. उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 28.01.2025 को पेश की गई है । अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित । वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में अंकित तथ्य को ही बहस मानते हुए निर्णय पारित करने हेतु निवेदन किया । पेरोकार सरकार को सुना गया ।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपील मेमो में अंकित किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.11.2024 में पटवारी हल्का रिपोर्ट को आधार मानते हुए सरसरी तौर पर अपीलान्ट को ग्राम गुमानपुरा के खसरा नम्बर 404 रकबा 0.32 हे0 किस्म चरागाह पर अतिक्रमी मानकर भूमि से बेदखल किया जाकर 100/– शास्ती से आरोपित किया जाकर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर एक माह 30 दिन का सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने में विधिक एवं कानूनन भूल की है ।पटवार हल्का गुमानपुरा द्वारा बगैर मौके पर जाकर बिना देखे अतिक्रमी मानकर रिपोर्ट पेश की गई है जबकि उक्त खसरा नम्बर पर अपीलान्ट ने फसल नहीं बो रखी है ना ही वर्तमान में अपीलान्ट का कब्जा है, अपीलान्ट द्वारा पूर्व में ही कब्जा छोड दिया गया है तथा जुर्माना भी जमा करवा दिया गया है अपीलान्ट को आदेश जेर अपील की सर्वप्रथम जानकारी थाना चेचट के पुलिसकर्मी द्वारा सूचना देने पर हुई । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को प्रोपर तामिल नहीं करवाई गई और ना ही सूचना दी गई । अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विरूद्व है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त होने योग्य है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्णय जेर अपील निरस्त किया जावें तथा अपीलान्ट की सजा का आदेश निरस्त किया जावें ।

जिला कलक्टर
कोटा

4. देशोकार सरकार ने अपनी बहस मे कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्ट पटवारी की जाकर प्रकरण दर्ज कर नोटिस पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दिया है। रिपोर्ट पटवारी से अतिक्रमण, पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित होना मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया है। अपील अस्वीकार योग्य है ।

5. हमने उभयपक्ष की बहस बहस पर मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.11.2024 के विरुद्ध यह अपील दिनांक 28.01.2025 को पेश की गई है। जो मियाद बाहर है । मियाद के शमन के लिए लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलाधीन आदेश की प्रथम जानकारी पुलिस थाना चेचट द्वारा बताने पर होना बताया है, जिस पर दिनांक 13.1.2025 को नकल प्राप्त कर कर अपील पेश करना बताया है । प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर निर्णित किया जाना उचित होने से धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर अवधि मानी जाती है ।

6. अधीनस्थ न्यायालय में पटवारी हल्का ने रिपोर्ट पेश की है कि सदीक पुत्र सुल्तान जाति मुसलमान निवासी बडोदिया कलां द्वारा संवत 2081 में ग्राम गुमानपुरा की चारागाह भूमि खसरा नम्बर 404 की रकबा 0.32 हे0 पर अतिक्रमण कर फसल सोया बोया हुआ है । इनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे। रिपोर्ट पटवारी के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत दर्ज कर अपीलान्ट को अतिक्रमण की गई भूमि के बावत नोटिस जारी किया जाकर सुनवाई करते हुए उसे बेदखल करते हुए 100/– रूपये का जुर्माना तथा पश्चावर्ती अतिक्रमी मानते हुए एक माह (30 दिवस) के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है।

7. अपीलान्ट ने विवादित आराजी से कब्जा हटाया जाना और तावान जमा कर दिया जाना तथा भविष्य में भी उपरोक्त भूमि पर कब्जा नहीं करने का शपथ पत्र प्रस्तुत करने के लिए तत्पर होना बताया है। ऐसी स्थिति में अपील आंशिक रूप से सशर्त स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

8. अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से सशर्त स्वीकार की जाकर यह आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलांट ने विवादित आराजी से कब्जा हटा लिया हो, तावान जमा करा दिया हो तथा भविष्य में कब्जा नहीं करने बाबत अन्डरटेकिंग अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश जारी होने की तारीख से एक माह के अन्दर प्रस्तुत कर दे तथा कब्जा हटाने की पुष्टि तहसीलदार चेचट स्वयं कर ले तो इस स्थिति में एक माह (30 दिवस)के सिविल कारावास का दण्ड निरस्त किया जाता है एवं शेष आदेश बावत बेदखली एवं तावान कायमी यथावत रखा जाता है। अपीलांट नियत अवधि में अण्डरटेकिंग अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करने में असफल रहता है तथा मौके पर से कब्जा नहीं हटाया जाता है तो तहसीलदार अतिकमी अपीलांट को नियमानुसार सिविल कारावास की सजा भुगतायेगा ।

9. निर्णय आज दिनांक 17.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ0 रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलक्टर
कोटा